भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1504
दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ

आरजीएसए के अंतर्गत जिला संसाधन केन्द्र

†1504. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ओडिशा में जिला संसाधन केन्द्र (डीआरसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा के किन-किन जिलों में संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस संसाधन केन्द्र के लिए जिला-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रावधान है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) जी हाँ। मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी रूप से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और इसमें जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) की स्थापना सहित पीआरआई को मजबूत करने से संबंधित बहुआयामी गतिविधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ओडिशा के लिए आठ डीपीआरसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। संसाधन केंद्र को जिला-वार आवंटित की जाने वाली प्रावधानित धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

दिनांक 12/12/2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1504 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं	जिलों के नाम	प्रावधानित राशि
1	बारगढ़	2,00,00,000/-
2	बौध	2,00,00,000/-
3	कटक	2,00,00,000/-
4	देवगढ़	2,00,00,000/-
5	जगतसिंहपुर	2,00,00,000/-
6	झारसुगुडा	2,00,00,000 /-
7	केंद्रपाड़ा	2,00,00,000 /-
8	सोनपुर	2,00,00,000 /-